



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

सिटिंग नोटिस

फा. सं.: NCST/SER-340/MP/50/2022-RO-BH (RU-I)

दिनांक: 25.02.2025

श्री तरुण राठी,
आयुक्त,
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा,
मध्य प्रदेश शासन,
6 वीं मंजिल, सतपुड़ा भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल, मध्य प्रदेश-462004
ई-मेल: comm.mededu@mp.gov.in

विषय: कार्यस्थल पर आवेदक के साथ जातिगत दुर्भावना एवं हीनभावना से ग्रसित होकर वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में प्रतिकूल टिप्पणी एवं श्रेणी उन्नयन की सूचना नहीं दिए जाने के सम्बंध में डॉ. शैलेन्द्र सिंह चौहान, सह प्राध्यापक पैथालॉजी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, रतलाम (म.प्र.)- का दिनांक 07.03.2022 का अभ्यावेदन।

संदर्भ 1: आयोग का समसंख्यक नोटिस दिनांक 08.06.2022 (प्रति संलग्न).

महोदय/महोदया,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी.) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है। श्री अंतर सिंह आर्य, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक 11.03.2025 को दोपहर पूर्व सिटिंग निर्धारित की है।

2. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से और माननीय अध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते/होती है तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के खंड (8) क के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र है।

(आर. के. दुबे)
उप-निदेशक

ई-मेल: rk.dubey@ncst.nic.in
दूरभाष: 011-24615012

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

डॉ. शैलेन्द्र सिंह चौहान,
सह प्राध्यापक पैथालॉजी,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
रतलाम, मध्य प्रदेश
ई-मेल: dr_shailendra46@yahoo.in